राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 100/2013

श्रीमती शालिनी गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग (गैर–अभियांत्रिकी), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग (गैर–अभियांत्रिकी), राजस्थान सरकार, जोधपुर (राज.)।
4. श्रीमती नीना स्वरूप पत्नी श्री दीपक स्वरूप।
5. श्रीमती अनिता टांक पत्नी श्री अशोक कुमार टांक, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।
6. श्रीमती मेघा वैश्य, एचओडी टेक्सटाइल डिजाईन विभाग, महिला पॉलिटेक्निक, कॉलेज, उदयपुर।
7. श्रीमती वीना शर्मा, एचओडी सीडीडीएम विभाग, महिला पॉलिटेक्निक, कॉलेज, बीकानेर।
8. श्रीमती संध्या ढड्ढा, एचओडी इंटीरीयर डेकोरेशन विभाग, महिला पॉलिटेक्निक, कॉलेज, उदयपुर।
9. श्रीमती इंदु माथुर, एचओडी इंटीरीयर डेकोरेशन विभाग, महिला पॉलिटेक्निक, कॉलेज, जोधपुर।
10. श्रीमती लीला बमबानी, एचओडी इंटीरीयर डेकोरेशन विभाग, महिला पॉलिटेक्निक, कॉलेज, कोटा।
11. श्रीमती रिंकू, एचओडी इंटीरीयर डेकोरेशन विभाग, महिला पॉलिटेक्निक, कॉलेज, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2013
आदेश की दिनांक : 19.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री संदीप सिंह शेखावत, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा संशोधित टाईटल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.01.2013 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि नियम 2010 के नियम 32 के अंतर्गत विभाग में वरिष्ठता को सही किया जावे और विभाग में कार्यग्रहण तिथी या अन्य कोई निम्नतर पद के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जावे तथा अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2006–07 माना जावे जो अन्य मामलों में पदों के सृजन के आधार पर किया गया है।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को प्रवक्ता (ब्यूटी कल्चर) के पद पर तद्र्थ आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 08.10.1993 को नियुक्त की गई और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अपीलार्थी का प्रवक्ता के पद पर नियमित नियुक्ति की गई, परंतु उक्त भर्ती के संबंध में जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए, उन्होंने रिट याचिका दायर की, जिसके कारण अपीलार्थी को नियुक्ति विलम्ब से दी गई। उनका कथन है कि भर्ती नियम एवं शर्तों के आधार पर मेरिट दी जाती है, जिसका कार्यग्रहण तिथी के आधार पर वरिष्ठता का कोई ताल्लुक नहीं होता है। अपीलार्थी को वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत किया गया और तदुपरान्त विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 12.07.2007 को कार्यग्रहण किया। विभागाध्यक्ष का पद दिनांक 26.06.2006 को सृजित किया गया और अपीलार्थी को वर्ष 2006–07 के बजाय वर्ष 2007–08 के विरूद्ध पदोन्नत दर्शाया गया है। उनका यह भी कथन है कि टेक्सटाइल डिजाईनिंग में 3 पद सृजित किए गए, जिसमें विभाग द्वारा 3 कार्मिकों को वर्ष 2007–08 के विरूद्ध पदोन्नति दी गई और पद सृजित वर्ष के आधार पर उनका पदोन्नति वर्ष भी बदल दिया गया, परंतु अपीलार्थी के साथ उसका पदोन्नति वर्ष नहीं बदला गया। नियम, 2010 में उच्चतम पद प्रधानाचार्य का है और यह पद शत प्रतिशत किसी भी शाखा के विभागाध्यक्ष से भरा जाता है और उक्त पद के लिए अपीलार्थी वांछित

योग्यता एवं अनुभव भी रखती है। विभाग द्वारा अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2012 उक्त पद पर पदोन्नति के लिए जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 19 पर अंकित किया गया। अपीलार्थी ने उक्त वरिष्ठता सूची के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कथन किया कि अचयनित प्रवक्ताओं द्वारा कोर्ट स्टे होने के कारण 6 माह विलम्ब से कार्यग्रहण किया, जिससे वरियता सूची में मेरा स्थान प्रभावित हुआ और यह क्रम आगे की पदोन्नतियों को भी प्रभावित करेगा। इस प्रकार अपीलार्थी ने अभ्यावेदन में निवेदन किया कि वरिष्ठता नियुक्ति तिथी से न मानते हुए मेरिट के आधार पर निर्धारित की जावे, परंतु विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2010 को विभागाध्यक्ष के पद के लिए वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 19 पर अंकित किया गया, जो कार्यग्रहण तिथी के आधार पर निर्धारित की गई, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.01.2013 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि नियम 2010 के नियम 32 के अंतर्गत विभाग में वरिष्ठता को सही किया जावे और विभाग में कार्यग्रहण तिथी या अन्य कोई निम्नतर पद के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जावे तथा अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2006–07 माना जावे जो अन्य मामलों में पदों के सृजन के आधार पर किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम, 1973 के प्रावधानानुसार प्रवक्ता ब्यूटीकल्चर पद से वरिष्ठ प्रवक्ता एवं तदुपरान्त विभागाध्यक्ष पद पर पदोन्नति की गई। पदोन्नत होने वाले कार्मिकों द्वारा सेवा नियमों के अनुसार अनुभव एवं योग्यता की पात्रता भी पूर्ण करना अनिवार्य होता है। अपीलार्थी द्वारा पद सृजन के वर्ष 2006–07 में अनुभव पूर्ण नहीं था। उक्त वर्ष विशेष में विभागाध्यक्ष ब्यूटीकल्चर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा वांछित अनुभव में नियमानुसार एक वर्ष की छूट प्रदान करने के उपरांत ही अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 में विभागाध्यक्ष ब्यूटीकल्चर के पद पर पदोन्नत किया गया और अंतर विभागीय वरिष्ठता सूची प्रवक्ता पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक के आधार पर वरिष्ठता सूची जारी की गई है। इस प्रकार नियम, 2010 के नियम 32 के प्रावधानानुसार प्रवक्ता पद पर नियमित नियुक्ति के आधार

पर वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1997 में हुई थी और अपीलार्थी द्वारा नियुक्ति से संबंधित विलम्ब से मामला उठाया गया। अपीलार्थी को नियमानुसार वर्ष 2007–08 में पदोन्नत किया गया, जिसमें कोई उल्लंघन नहीं है और पदोन्नति दिनांक 12.07.2007 के आधार पर अपीलार्थी दिनांक 01.07.2012 को 5 वर्ष का अनुभव पूर्ण करेगा। इस प्रकार अपीलार्थी वरिष्ठता सूची तैयार करते समय 5 वर्ष का अनुभव पूर्ण नहीं रखता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को प्रवक्ता (ब्यूटी कल्चर) के पद पर तद्र्थ आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 08.10.1993 को नियुक्त की गई और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अपीलार्थी का प्रवक्ता के पद पर नियमित नियुक्ति की गई, परंतु उक्त भर्ती माननीय न्यायालय में लम्बित होने के कारण अपीलार्थी को नियुक्ति विलम्ब से दी गई। चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बनती है, जिसमें कार्यग्रहण तिथी के आधार पर वरिष्ठता का कोई ताल्लुक नहीं होता है। नियम, 2010 में उच्चतम पद प्रधानाचार्य का है और यह पद शत प्रतिशत किसी भी शाखा के विभागाध्यक्ष से भरा जाता है और उक्त पद के लिए अपीलार्थी वांछित योग्यता एवं अनुभव भी रखती है। विभाग द्वारा अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2012 उक्त पद पर पदोन्नति के लिए जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 19 पर अंकित किया गया। जहां तक की वरिष्ठता दिनांक 01.04.2012 की स्थिति अनुसार उचित स्थान पर निर्धारित नहीं किये जाने का प्रश्न है, विभाग द्वारा राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 से शासित विभागाध्यक्षों की अंर्तविभागीय वरिष्ठता सूची के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 19 पर अंकित किया गया है, जिसमें पदोन्नति वर्ष 2007–08 दर्शाया गया है। जबकि क्रम संख्या 10, 14, 15, 16, 17 एवं 18 जिनकी पदोन्नति वर्ष अपीलार्थी से बाद की है, परंतु उनका नाम वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से ऊपर दर्शाते हुए वरिष्ठ माना

गया है, जो हमारे मत में नियमानुसार उचित प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार वरिष्ठता सूची में नियमानुसार सही वरिष्ठता निर्धारित नहीं होने के कारण अपीलार्थी की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पडना प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और वरिष्ठता दिनांक 01.04.2012 की स्थिति अनुसार राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 से शासित विभागाध्यक्षों की अंर्तविभागीय वरिष्ठता सूची अनुलग्नक–1 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि नियम, 2010 के तहत अपीलार्थी की वरिष्ठता का सही निर्धारण करते हुए उचित स्थान पर वरिष्ठता दर्शायी जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)